मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2000 (श्रावण 2, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लालसिंह राणावत, लक्ष्मण सिंह गौड़, लीलाराम भोजवानी, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा स्थित भारत कॉमर्स उद्योग में तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल के भवानी नगर तथा पुरानी जेल के सामने से हटाये गये झुग्गीवासियों को मूलभूत सुविधायें मुहैया न कराये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री राजमणि पटेल, सदस्य, नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. वक्तव्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 17 जुलाई, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 34) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री सत्येन्द्र पाठक, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, दिनांक 17 जुलाई, 2000 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 291) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

5. मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर निर्मित प्रवर समिति में हुए रिक्त एक स्थान की पूर्ति

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 68 के उपनियम (1) के साथ सहपठित नियम 177 के उपनियम (3) के तहत् मध्यप्रदेश भूमि प्रबन्धन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर निर्मित प्रवर समिति में हुए रिक्त एक स्थान पर श्री करन सिंह पवार, सदस्य, को नियुक्त किया जावे".

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 18 सन् 2000) पर विचार किया जाय -- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे — (2) श्री रत्नेश सॉलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा — (3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घण्टा 30 मि. — प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लक्ष्मेश सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, मुन्ना सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 जुलाई, 2000